राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर
ई–मेल ssraj.sje@rajsthan.gov.in

कमांकः–एफ15( )भिक्षा.नि./सा0सु0/सान्याअवि/23/ 78716 **जयपुर, दिनांक** 1-3-2023

<u>राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास हेतु पुनर्वास गृह संचालन दिशा–निर्देश, 2023</u>

राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2020 के क्रम में राज्य सरकार इनकें पुनर्वास हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश बनाती हैः–

1. पुनर्वास गृह मे प्रवेश की प्रक्रियाः–

यदि कोई व्यक्ति राज्य के भीतर भिक्षावृति करतें पाया जाता है और अधीक्षक/प्रभारी, पुनर्वास गृह के समकक्ष लाया जाता है या स्वयं प्रस्तुत होता है तथा उस व्यक्ति के पास भिक्षावृति के सिवाय आजीविका का कोई स्त्रोत नहीं है तथा वह निर्धन है और पुनर्वास गृह में निवास के लिए इच्छुक है तो उसे तुरन्त पुनर्वास गृह में प्रवेश दिया जायेगा।

यदि अधीक्षक/ प्रभारी या पुनर्वास अधिकारी को प्रथम दृष्टया या सरसरी तौर पर चिकित्सकीय परीक्षण के पश्चात् यह प्रतीत होता है कि पुनर्वास गृह में भर्ती करने के लिए लाया गया भिखारी मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उसे चिकित्सक की राय के अनुसार मनो चिकित्सालय में रखा जायेगा।

2. पुनर्वास गृह में रखने की समयावधि :–

(क). यदि वह व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो उसे यथोचित प्रशिक्षण और अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए साधन उपलब्ध करवाने के पश्चात् उसका पुनर्वास होने तक या दो वर्ष से अन्अधिक अवधि तक अर्थात् जो भी कम हों, उसे पुनर्वास गृह में रखा जायेगा।

(ख). यदि वह दिव्यांग है या आजीविका कमाने में अन्यथा असाध्य रूप सें असमर्थ है तो वह पुनर्वास गृह में अनिश्चित काल अवधि तक या जबतक कि कोई परोपकारी संस्था/अन्य व्यक्ति/उससे संबंधित व्यक्ति स्वेच्छा से उसकी देखभाल करने का भार स्वीकार न कर लें, रह सकेगा।

Signature valid
Digitally signed by Hari Mohan Meena
Designation : Director
Date: 2023.03.01 12:08:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3186984

Scanned with CamScanner

परन्तु उपर्युक्त के अतिरिक्त जहॉ तक संभव हो पुनर्वास गृह के आवासियों का अविलम्ब पुनर्वास किया जायेगा यथा सामाजिक (परिवार में पुर्नस्थापित), कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक गतिविधियॉ से जुडाव/रोजगार से जोडना आदि।

3. **एक पुनर्वास गृह से दूसरें में स्थानान्तरण :-**

पुनर्वास अधिकारी (जिला स्तरीय अधिकारी) की अनुमति से एक आवासी से एक पुनर्वास गृह से दूसरें पुनर्वास गृह में स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

4. **पुनर्वास गृह से आवासी को स्थाई रूप से छोडने की प्रक्रिया :-**

ऐसा कोई भी वयस्क व्यक्ति जिसें पुनर्वास गृह में प्रवेश दिया गया है और उसे आजीविका अर्जित करने के लिए यथोचित प्रशिक्षण और साधन उपलब्ध करवा दियें गए है तथा उसकें यह लिखित घोषणा-पत्र देने के पश्चात् की वह राज्य में कहीं भिक्षावृति नहीं करेगा तत्पश्चात् उसे पुनर्वास गृह से स्थाई रूप से स्वतंत्र कर दिया जायेगा।

5. यदि **भिखारी या निर्धन व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक और माता-पिता है तो उन्हें भरण पोषण राशि दिलवाने की प्रक्रियाः-**

यदि पुनर्वास अधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि भिखारी या निर्धन व्यक्ति की कोई सम्पति है या उसके ऐसे संबंधी है जो विधिक रूप से उसके भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है और वह उसके भरण पोषण की जानभुझकर उपेक्षा कर रहा है और इस कारण उसे भिक्षावृति करनी पड रही है तो पुनर्वास अधिकारी माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के अधीन गठित अधिकरण से भरण-पोषण के लिए आदेश प्राप्त कर सकेगा।

6. **भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का सर्वे एवं पुनर्वास गृह संचालन हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं के चयन हेतु पात्रताः-**

आवेदन/प्रस्ताव के साथ निम्न दस्तावेज सलंग्न होगें:-

1. संस्था का पंजीयन। (तीन वर्ष पुराना हो।)
2. संस्था का आयकर अधि0 1961 की धारा 12 (ए) का पंजीयन क्रमांक व दिनांक।
3. नीति आयोग पंजीयन क्रमांक व दिनांक
4. संस्था की पिछले तीन वर्ष की Audit & Balance Sheet रिपोर्ट
5. संस्था की पिछले तीन वर्ष की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट।

Signature valid
Digitally signed by Hari Mohan Meena
Designation : Director
Date: 2023.03.01 12:08:34 IST
Reason: Approved

Scanned with CamScanner

6. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संस्था को ब्लेक लिस्टेड नहीं किये जाने सम्बंधित उद्घोषणा।
7. संस्था द्वारा कियें जा रहें अलाभकारी कार्यो का विवरण।
8. संस्था प्रतिष्ठित कार्य में दक्षता तथा अनुभव रखती हो।

7. भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का सर्वे एवं पुनर्वास गृह संचालन हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं के चयन की प्रक्रियाः-

राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास नियम, 2020 के तहत् सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय के स्तर से सर्वे एवं पुनर्वास गृह संचालन हेतु पृथक-पृथक से ''अभिरूचि की अभिव्यक्ति'' जारी की जायेगी।

इच्छुक स्वयं सेवी संस्थाओं को अपना आवेदन/प्रस्ताव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। जिला कार्यालय में प्राप्त समस्त प्रस्तावों को रजिस्टर किया जायेगा तथा उनका परीक्षण किया जायेगा। परीक्षण उपरान्त पूर्ण एवं सही पाये गये प्रस्तावों को राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास नियम, 2020 के नियम 22 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति के द्वारा सर्वे एवं पुनर्वास गृह संचालन हेतु पृथक-पृथक चयन किया जायेगा। चयनित संस्थाओं की सूची स्वीकृति हेतु निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेजी जायेगीं।

8. स्वयं सेवी संस्था द्वारा संचालित पुनर्वास गृह को अनुदान जारी करने की प्रक्रियाः-

1. निःशुल्क संचालन नहीं करने वाली संस्थाओं को गृह संचालन हेतु स्वयंसेवी संस्था को स्वीकृत बजट का 90 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत किया जायेगा तथा 10 प्रतिशत हिस्सा स्वयंसेवी संस्था का स्वयं का होगा।
2. स्वयं सेवी संस्थाओं को जारी किया जाने वाला अनुदान जिला कलेक्टर से अनुमोदन पश्चात् विभागीय जिला अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।
3. जिलाधिकारी द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं को एकमुश्त देय अनुदान राशि वर्ष में दो बार एवं मैस व्यवस्था हेतु देय राशि का भुगतान प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। समय पर भुगतान नहीं होने की स्थिति में जिलाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होगें।
4. स्वयंसेवी संस्था को आवासियों के मैस व्यवस्था के लिये 25[illegible]/- [illegible] प्रति माह प्रति आवासी एवं किराये के भवन की स्थिति में [illegible] निर्धारित दरों के

Signature valid
Digitally signed by Hari Mohan Meena
Designation : Director
Date: 2023.0[illegible].01 12:08:34 IST
Reason: Approved

Scanned with CamScanner

आधार पर देय होगा। इसके अतिरिक्त/अधिक व्यय संस्था द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा।

5. गृह में पलंग, गद्दे, तकिया मय कवर, खैस, चद्दर, कम्बल, खाने बनाने व खिलाने वाले बर्तन, टी.वी.अलमारी, कुर्सी, टेबिल, मनोरंजन यंत्र, धार्मिक पुस्तकें, इंडोर गैम्स, पंखे, कूलर इत्यादि अनावर्तक सामान क्रय के लिए विभाग द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर देय होगा एवं पूर्व सामान का कारण सहित अनुपयोगी सामान का निस्तारण पश्चात् आवश्यकता होने पर 05 वर्ष उपरांत अनावर्तक मद में अनुदान की पुर्नावर्ती की जा सकती है।
6. स्वयंसेवी संस्था को भुगतान से पूर्व पिछले भुगतान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र व सी.ए. द्वारा प्रमाणित वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
7. अनुदान प्राप्ति से पूर्व संस्था द्वारा एक प्रतिज्ञा पत्र 500 रूपये के स्टाम्प पर भर कर दिया जायेगा, संस्था के कार्य बन्द कर देने के कारण या राज्य सरकार द्वारा 05 वर्ष पूर्व मान्यता समाप्त कर देने पर सरकार को पूर्ण रूप से बिना किसी शर्त के सम्पूर्ण सामान क्रय हेतु दी गई अनुदान राशि की वसूली की जायेगी तथा अनुपयोगी अनुदान राशि (Unused Grant) को राजकोष में जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा और समय-2 पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की बिना शर्त के पालना की जावेगी।
8. विभाग द्वारा चाही गई समस्त सूचनाएं स्वयंसेवी संस्था द्वारा समय पर उपलब्ध करवानी होगी।
9. विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संस्था अपनी इच्छा से योजना संचालन का कार्य किसी अन्य संस्था को स्थानान्तरित नहीं कर सकती है। स्वयंसेवी संस्था यदि योजना संचालन में असमर्थ है तो उन्हें एक माह पूर्व विभाग को सूचित करना होगा ।
10. भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का सर्वे हेतु विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर अनुदान देय होगा।

9. पुनर्वास गृहों में रजिस्टरों का संधारणः-

पुनर्वास गृहों का प्रभारी अधिकारी अपने कार्यालय में निम्नलिखित रजिस्टर और प्ररूप संधारित करेगा, अर्थात्ः-

1. कर्मचारिवृंद का उपस्थिति रजिस्टर;
2. अंतः वासियों की भर्ती और निजी सामान का रजिस्टर;
3. साधारण क्रम पुस्तिका;
4. पुनर्वास योजना, निराव्यसन योजना की तैयारी और उसके कार्यान्वयन में उठाये गये कदम के संबंध में व्यष्टिक अंतः वासी का अभिलेख;
5. रोकड़ बही ;
6. बैठक पुस्तिका ;
7. स्टाक रजिस्टर ;

Signature valid
Digitally signed by Hari Mohan Meena
Designation : Director
Date: 2023.03.01 12:08:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3186984

Scanned with CamScanner

8. कर्मचारिवृंद का संचलन रजिस्टर;
9. लॉग बुक और
10. आंगतुक पुस्तिका।

10. **पुनर्वास गृह अधीक्षक/प्रभारी के कर्तव्य.–** सरकार द्वारा समय–समय पर समनुदेशित शक्तियों और कर्तव्यों के अतिरिक्त, अधीक्षक,–

1. पुनर्वास गृहों के अंतः वासियों की भर्ती, देखभाल, अभिरक्षा, संरक्षण, उपचार, प्रशिक्षण और सामान्य कल्याण के लिए उत्तरदायी होगा;
2. अंतः वासियों के लिए और उनके अच्छे अनुशासन और प्रशिक्षण तथा पुनर्वास प्रयासों के दक्षतापूर्ण कार्य के लिए उत्तरदायी होगा;
3. पुनर्वास गृहों के समस्त कार्यों के प्रबंधन और सामान्य पर्यवेक्षण जिसमें कर्मचारिवृंद का पर्यवेक्षण, लेखों और वित्तीय संव्यवहारों का संधारण, वस्त्र, भोजन, भंडारों, अंतः वासियों की निजी सम्पति के लेखे आदि सम्मिलित हैं, के लिए उत्तरदायी होगा;
4. अंतः वासियों के अच्छे स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा;
5. कार्य नियोजन और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अंतः वासियों के सामाजिक और व्यावसायिक पुनर्वास, साथ ही मादक द्रव्य उपभोगकर्ताओं के लिए निराव्यसन योजना को सम्मिलित करते हुए अंतः वासियों की संतानों के लिए शैक्षिक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करेगा;
6. विहित पैमाने के अनुसार और स्वीकृत अनुदान के और विशिष्टतया अंतः वासियों की वास्तविक पुनर्वास आवश्यकताओं के अनुरूप अंतः वासियों के उचित आहार और वस्त्र के लिए उत्तरदायी होगा; और
7. ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो आयुक्त, पुनर्वास द्वारा समय–समय पर समनुदेशित किये जाएं।

11. **स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित पुनर्वास गृह की निम्न अन्य सेवा शर्त :–**

1. ''राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यकितयों का पुनर्वास अधिनियम, 2012'' ''राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास नियम, 2020'' **एवं उक्त दिशा–निर्देश** के अनुसार संचालन कियें जायेंगे।
2. पुनर्वास गृह संचालन करने वाली स्वयं सेवी संस्था को राजकीय भवन उपलब्ध करवायें जाने की स्थिति में किराया देय नहीं होगा।

Signature valid
Digitally signed by Hari Mohan Meena
Designation : Director
Date: 2023.03.01 12:08:34 IST
Reason: Approved

Scanned with CamScanner

3. प्रत्येक पुनर्वास गृह की स्वीकृत क्षमता 100 होगी, जिसमें महिला व पुरूष के रहवास की अलग-अलग व्यवस्था होगी।

4. पुनर्वास गृह संचालन करने वाली स्वयं सेवी संस्था द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में भिक्षावृति में लिप्त बच्चों/व्यक्तियों/परिवारों का रैस्क्यू एवं वाहन की व्यवस्था अपने स्तर पर टीम का गठन कर निरन्तर किया जायेगा।

5. पुनर्वास गृह में चिन्हित असहाय, अशक्त एवं गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों कों विभाग द्वारा संचालित पुनर्वास गृहों में, नशें से पीडित व्यक्तियों को विभाग द्वारा संचालित नशामुक्ति केन्द्रों में, बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष, निशक्त/द्वियांग व्यक्तियों को निदेशालय, विशेष योग्यजन द्वारा संचालित पुनर्वास गृहों में, वृद्ध व्यक्तियों को विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में स्थानान्तरित किया जायेगा।

6. कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बैच (प्रत्येक 25) बनाकर रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

7. पुनर्वास गृह संचालन करने वाली स्वयं सेवी संस्था द्वारा रैस्क्यू करने के लिए टीमों का गठन कर दो शिफ्ट में रैस्क्यू एवं काउंसलिंग कार्य प्रतिदिन चलाया जायेगा। रैस्क्यू टीम का ड्रेस कोड (ब्लेक कलर की पेंट एवं ग्रे कलर की टी-शर्ट) तैयार करेगी।

8. पुनर्वास गृह संचालन करने वाली स्वयं सेवी संस्था अपने क्षेत्र में रैस्क्यू करने के लिए टीम का गठन करवाना एवं टीम की ऑन-लाईन उपस्थिति दर्ज करवायी जानी होगी।

9. भिक्षावृति में लिप्त व्यक्तियों की काउंसलिंग करने के पश्चात् कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाने का प्रयास किया जायेगा।

10. विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/नियमों की पालना करनी होगी।

उक्त दिशा-निर्देशों में शिथिलता प्रदान करने का अधिकार प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को होगा।

(हरि मोहन मीना)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Hari Mohan Meena
Designation : Director
Date: 2023.03.01 12:08:34 IST
Reason: Approved

कमांक:-एफ15( )भिक्षा.नि./सा0सु0/सान्याअवि/22/78717-60 जयपुर दि 1-3-2023

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।

Scanned with CamScanner

2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि राज0 जयुपर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0 जयपुर।
6. समस्तर जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
8. समस्त कोषाधिकारी कोष कार्यालय, राजस्थान।
9. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को भेजकर लेख है कि विभागीय वेब–साईट पर अपलोड हेतु।
10. समस्त संयुक्त/उप/सहायक निदेशक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
11. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Hari Mohan Meena
Designation : Director
Date: 2023.03.01 12:08:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3186984

Scanned with CamScanner